

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त 2011—श्रावण 27, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-(10)-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा संभागीय सतर्कता समिति सागर में डॉ. रामानंद शुक्ल को अध्यक्ष के पद पर दिनांक 24 जुलाई 2011 से 23 जुलाई 2014 तक, 3 वर्ष की अवधि के लिये पुनः नियुक्त करता है.

No. F-3 (10)-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981, the State Government, on the recommendation of the Lokayukta hereby re-appoint Dr. Ramanand Shukla, as Chairman, in the Divisional Vigilance committee, Sagar Division for the period of 3 years from the date of 24th July 2011 to 23rd July 2014 respectively.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.